संख्या– 3048 /15-11-2013

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

लखनऊः दिनांक 10 दिसम्बर, 2013

शिक्षा अनुभाग–11

विषय– निजी संस्थान छोटे लोहिया महाविद्यालय, कासीधाम, सूरजपुर, मऊ, प्लाट/खसरा नं0–एन0–ए, प्लाट नं0–593, स्ट्रीट नं0–एन0–ए, ग्राम–जमुनीपुर, पो0 आफिस–सूरजपुर, तहसील–मधुबन, टाउन/सिटी–दोहरीघाट, जनपद–मऊ को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान छोटे लोहिया महाविद्यालय, कासीधाम, सूरजपुर, मऊ, प्लाट/खसरा नं0–एन0–ए, प्लाट नं0–593, स्ट्रीट नं0–एन0–ए, ग्राम–जमुनीपुर, पो0 आफिस–सूरजपुर, तहसील–मधुबन, टाउन/सिटी–दोहरीघाट, जनपद–मऊ को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013–14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिय गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था प एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयि संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित कि जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, पर नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख/अपडेट वेबसाइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के अ पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2013–14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है। उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या– 3048 (1)/15–11–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन–110002

2– क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ, मानसरोवर (मानसरोवर स्टेडियम), जयपुर, राजस्थान।

3– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।

5– सचिव/प्रबन्धक, छोटे लोहिया महाविद्यालय, कासीधाम, सूरजपुर, मऊ, प्लाट/खसरा नं0–एन0–ए, प्लाट स्ट्रीट नं0–एन0–ए, ग्राम–जमुनीपुर, पो0 आफिस–सूरजपुर, तहसील–मधुबन, टाउन/सिटी–दोहरीघाट, जनपद

आज्ञा से,